न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 125/2015

अनवान :

किरण पुत्री स्व0 ओमप्रकाश पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी न्यांगल नाबालिग जरिये इप्टमित्र नाना सुखराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।

– वादिया

बनाम

1. भगतराम पुत्र महीपत जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
2. गीता पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. उपपंजीयक भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बावत :- घोषणात्मक एवं
रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थित : वकील श्री ताराचन्द मोटसरा : वादिया

दिनांक : 12-3-2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 9बारानी के खाता
सं0 32/32 के मु0नं0 49 के किला नं0 6 ता 15, 18 ता 20, मु0नं0 50 के किला नं0
11 ता 20, मु0न0 51 के किला नं0 6 ता 19, 23 ता 25 की कुल 10.045 है0 बारानी
खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी भगतराम के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी
दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 बारानी के ही खाता सं0 53/52 के मु0नं0 30 के किला नं0
10 के किला नं0 1 की 0.253 है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी भगतराम के 1/2
हिस्सा में 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा चक 9 बारानी के खाता सं0 54/51 के
मु0नं0 32 के किला नं0 3 ता 8, 14 ता 16, 24 की 2.530 है0 बारानी खातेदारी में
प्रतिवादी भगतराम में 1/2 भाग में 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। चक 9 बारानी के ही
खाता सं0 134/126 के मु0न0 16, 30, 31, 38, 116/2, 116/4 की कुल 14.954 है0
बारानी में प्रतिवादी भगतराम के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि
दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादिया का जन्म से हक व अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन
तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादिया व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने
आपसी सहमति से राजीनामा किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी
सं0 4 व 5 को वकील वादिया ने तर्क किया। [illegible] गये। दस्तावेजी साक्ष्य में

साक्ष्य वादिया में वादिया किरण के [illegible]
राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात प्रदर्श [illegible] वकील वादिया ने अपने दावा

बहस वकील वादिया सुनी गई। [illegible] दादालाई पैतृक कृषि भूमि है
के तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया की वाद भूमि [illegible] इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद
वादिया का जन्म से हक हिस्सा निहित है।
डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादिया की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादिया ने चक 9 बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है वादिया ने अपने दावा में कथन किया है कि वाद भूमि वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसकी पुष्टि में वादिया ने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात प्रदर्श 1 से 5 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादिया के दादा भगतराम पि0 महीपत व परदादा महीपत पि0 नन्दा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि वादिया की दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है तथा मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने पर सहमत है।

अत : वाद वादिया मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 9बारानी के खाता सं0 32/32 के मु0नं0 49 के किला नं0 6 ता 15, 18 ता 20, मु0नं0 50 के किला नं0 11 ता 20, मु0न0 51 के किला नं0 6 ता 19, 23 ता 25 की कुल 10.045 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी भगतराम के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 बारानी के ही खाता सं0 53/52 के मु0नं0 30 के किला नं0 10 के किला नं0 1 की 0.253 है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी भगतराम के 1/2 हिस्सा में 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा चक 9 बारानी के खाता सं0 54/51 के मु0नं0 32 के किला नं0 3 ता 8, 14 ता 16, 24 की 2.530 है0 बारानी खातेदारी मं प्रतिवादी भगतराम में 1/2 भाग में 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। चक 9 बारानी के ही खाता सं0 134/126 के मु0न0 16, 30, 31, 38, 116/2, 116/4 की कुल 14.954 है0 बारानी में प्रतिवादी भगतराम के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भगतराम के बजाय वादिया 1/4 हिस्सा व शेष कृषि भूमि का प्रतिवादी सं0 1 भगतराम खातेदार काश्तकार है। चूकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार भगतराम के नाम दर्ज वाद कृषि भूमि में वादिया के नाम 1/4 हिस्सा व शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भगतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12-3-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक (मुकेश यादव) R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 125/2015

अनवान :

किरण पुत्री स्व0 ओमप्रकाश पुत्र भगतराम जाति जाट निवासी न्यांगल नाबालिग जरिये इष्टमित्र नाना सुखराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी बीराण तहसील भादरा।

– वादिया

बनाम

1. भगतराम पुत्र महीपत जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
2. गीता पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री भगतराम जाति जाट निवासी न्यांगल तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. उपपंजीयक भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारेठ सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादिया श्री ताराचन्द मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादिया मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 9बारानी के खाता सं0 32/32 के मु0नं0 49 के किला नं0 6 ता 15, 18 ता 20, मु0नं0 50 के किला नं0 11 ता 20, मु0न0 51 के किला नं0 6 ता 19, 23 ता 25 की कुल 10.045 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी भगतराम के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 9 बारानी के ही खाता सं0 53/52 के मु0नं0 30 के किला नं0 10 के किला नं0 1 की 0.253 है0 बारानी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी भगतराम के 1/2 हिस्सा में 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा चक 9 बारानी के खाता सं0 54/51 के मु0नं0 32 के किला नं0 3 ता 8, 14 ता 16, 24 की 2.530 है0 बारानी खातेदारी मं प्रतिवादी भगतराम में 1/2 भाग में 1/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। चक 9 बारानी के ही खाता सं0 134/126 के मु0न0 16, 30, 31, 38, 116/2, 116/4 की कुल 14.954 है0 बारानी में प्रतिवादी भगतराम के नाम से 1/12 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 भगतराम के बजाय वादिया 1/4 हिस्सा व शेष कृषि भूमि का प्रतिवादी सं0 1 भगतराम खातेदार काश्तकार है। चूकि वाद कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार भगतराम के नाम दर्ज वाद कृषि भूमि में वादिया के नाम 1/4 हिस्सा व शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 भगतराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:44:29 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश बारैठ)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner